assurance. So, there is no need of a Committee going there. Accepting the spirit of what the Prime Minister has said, the hon. Member, Shri Jyotirmoy Bosu should withdraw his motion.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: If that is the pleasure of the House, I gladly withdraw my motion. I seek leave for doing so.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to allow him to withdraw the motion?

HON. MEMBERS: Yes.

The motion was by leave, withdrawn.

17.57 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

FIXATION OF SUGARCANE PRICE

MR. CHATRMAN: Dr. Laxmina rayan Pandeya.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, दिनांक 14 नवम्बर को गन्ने की कीमतों के निर्धारण के मामले के लेकर सदन में एक प्रश्न उपस्थित किया गया था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि जो कीमतें निर्धारित की गई हैं, उनको देखते हुए किसानों में किसी प्रकार का असन्तोष नहीं है। लेकिन उनका इस प्रकार का वक्तव्य सर्वथा तथ्यों से विपरीत है। वास्तव में किसानों में असन्तोष है। किसान चाहते हैं कि उनके गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। गन्ना उत्पादक लोग कई वर्षों से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि गन्ना नीति इस प्रकार की तय की जाए कि जिसके कारण किसानों को उनके उत्पादन का सही-सही मूल्य मिल सके।

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्राय: सभी औद्योगिक संस्थान, या उद्योग पति, उद्योगों से जो चीजें तैयार की जाती हैं, उनका उत्पादन मूल्य स्वयं तय करते हैं या उनका मूल्य उसी प्रकार तय किया जाता है जैसा वह चाहते हैं। लेकिन किसान अपनी उत्पादित वस्तुओं का मूल्य स्वयं तय नहीं कर पाता है। या तो सरकार उसे तय करती है, या बाजार में व्यापारी तय करते हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसान अपनी उत्पादित वस्तुओं का जो उचित मूल्य मांगें वह उसको दिया जा सके या दिलवाया जा सके। आज किसान के मन में यह बात है कि सरकार उसके उत्पादन का मूल्य तय करती है किन्तु औद्योगिक उत्पादन का नहीं ? अत: सरकार इसे ठीक करे। अन्यथा कभी भी पारस्परिक विरोध समाप्त नहीं हो सकता है। उस समय जो वक्तव्य दिया गया था कि किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य साढ़े आठ रुपया निर्धारित किया गया है, मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाजार में मिलने वाली जलाऊ लकड़ी 24 रुपया प्रति क्विंटल है और पशुओं को खिलाने वाला चारा भी 16 रुपया प्रति क्विंटल है जबकि गन्ना में से रस निकलता है, चीनी पैदा की जाती हैं और विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है, उसका भाव साढ़े आठ रुपए क्विन्टल है। यह बड़ा ही हास्यास्पद है और इस पर सरकार भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। यह अत्यन्त दुख की बात है। आज भी किसानों का गन्ने की कीमत का करोड़ों रुपया बकाया है। 12 करोड़ तो मूल बकाया है पिछले वर्ष में गन्ने का मूल्य बढ़ा कर एरियर दिया जाने वाला रुपया इसके अतिरिक्त है। कुल ब्याज समेत मिला कर देखें तो कई करोड़ रुपया बाकी है। मंत्री जी के पास आंकड़े होंगे, वे देखें कि कुल मिला कर किसानों को कितना देय है। गन्ने के मूल्य के रूप में भी जो दिया जाना है वह भी बहुत अधिक है।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

18 hrs.

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की खेती में लगने वाले जो लोग हैं वे काफी हैं। करीब पांच करोड़ से सात करोड़ तक लोग इस में काम करते हैं। गन्ने की फसल में लगभग दस बारह महीने का समय लगता हैं और तेरह चौदह बार पानी देना पड़ता है। गन्ने की खेती में लगने वाली जो चीजें हैं जैसे खाद, बीज, बिजली, मजदूरी उन में लगातार वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी पांच परसेंट से 25 परसेंट तक वृद्धि हो चुकी है। अगर वृद्धि नहीं हुई है तो केवल गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। मंत्री जी कह देंगे कि हम ने राज्य सरकारों को छूट दे दी है और वे शुगरकेन कन्ट्रोल आर्डर के तहत अलग से कीमतें तय कर सकते हैं। कर्नाटक राज्य में गन्ने का दाम 16 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता है। तमिलनाडु में 17 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता है और गुजरात में साढ़े चौदह या पन्द्रह रुपए दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश जो पिछड़े राज्य हैं वहां पर गन्ने का दाम आठ दस रुपए प्रति क्विंटल है। कभी अधिक दबाव हुआ तो बारह या तेरह रुपये कर दिया गया लेकिन वह भी समय पर नहीं दिया जाता है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है। मध्य प्रदेश की भी यही दशा है। यहां पर करोड़ों रुपए बाकी हैं। बिहार में भी किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। सरकार को किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन में किसान का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। वहां पर यह तय किया जाए कि गन्ने पर किसान का लागत मूल्य क्या है। आज तक एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन में किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। भार्गव कमीशन की नियुक्ति की गई। उस की रिपोर्ट भी आई। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? उस रिपोर्ट पर भी अमल किया जाना आवश्यक है।

आपने गन्ने की खेती के लिए रिसर्च सेंटर्स कायम किए हैं। सब से ज्यादा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में होती है फिर बिहार में और फिर महाराष्ट्र में लेकिन रिसर्च सेंटर कोयम्बटूर में है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर दो रिसर्च सेंटर बनाए जायें। लेकिन प्रत्येक राज्य में जहां पर गन्ने की खेती होती है इस प्रकार के रिसर्च सेंटर कायम किए जाने चाहियें, तभी गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। गन्ने की खेती को उद्योग मान कर उसे उचित ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन उस के बारे में आज तक विचार नहीं किया गया है। रिकवरी के आधार पर आप मूल्य तय करते हैं तो रिकवरी भी बढ़ायी जा सकती है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में रिकवरी का परसेंटेज उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से ज्यादा है? रिकवरी के आधार पर वहां ज्यादा मूल्य मिलते हैं लेकिन यहां पर क्या स्थिति है जिसके कारण रिकवरी नहीं बढ़ती है? क्या मिल मालिक इसके कारण हैं जो जानबूझ कर रिकवरी को कम बताते हैं ताकि किसानों को कम मूल्य मिले? यहां की जो मिलें हैं उनकी मशीनें खराब हैं। उन का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। वे सरकार के मत्थे बिठाने की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं ताकि करोड़ों रुपया वे अर्जित कर सकें। इस प्रकार की स्थिति चल रही है। क्या आप इन सब बातों को देखेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इन सब बातों की ओर पुनः खींचना चाहता हूं और निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तय कीजिए कि गन्ना मिल-मालिक अपनी मिलों को समय से चलायें। आज क्या हो रहा है–कोई मिल-मालिक 20 नवम्बर से चलाता है, कोई 1 दिसम्बर से चलाता है, कोई 1 या 15 जनवरी से चलाता हैं। आप तय कर दीजिए कि 15 नवम्बर से पहले सब मिलें चलाई जाएं। अन्यथा इस में दो तरह से शोषण होता है, पहले तो मिल-मालिक समय से नहीं चलाते हैं, उसके बाद खाण्डसारी वाले सामने आ जाते हैं जो कई बार समय का लाभ लेकर गन्ना कम दाम पर खरीदने का विचार करते हैं। यह ठीक है कि खाण्डसारी उद्योग भी आज संकट में है, उन को भी रियायत देने की आवश्यकता हैं। आप ने चीनी मालिकों को बहुत बड़े लाभ दे दिए हैं–एक्साइज ड्यूटी में छूट दे कर 85 करोड़ रुपए का लाभ उन को पहुंचाया है, लेकिन दूसरी तरफ खाण्डसारी उद्योग को कई लाभ नहीं मिला है. . .

एक माननीय सदस्य : आप खाण्डसारी को बाहर भिजवा रहे हैं या घर में ही सड़ायेंगे ?

श्री महीलाल (बिजनौर) : हमारा गुड़ ही बाहर भिजवा दीजिये, उसको क्यों रोका जा रहा है।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा था कि आप आदेश दें कि 15 नवम्बर से तमाम मिलें अपना उत्पादन शुरू कर दें। आज आप की लेवी का अनुपात 65 : 35 हैं, मैं चाहता हूं कि इसको गढ़ा कर 70 : 30 किया जाये, ताकि आपकी वितरण व्यवस्था और ठीक से चल सके। आज आप कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस स्टाक है––12 लाख टन या 15 लाख टन अतिरिक्त हमारे पास है, अगले साल में चीनी का स्टाक और बढ़ जायगा। मैं आप से डी-कन्ट्रोल या पार्शल-कन्ट्रोल की बात नहीं कहना चाहता हूं, वह अलग विषय है। लेकिन आज गांवों में बहुत ज्यादा असन्तोष है, आप वहां दी जाने वाली मात्रा क्यों नहीं बढ़ाते हैं। आप शहरों में 1 किलो या डेढ़ किलो देते हैं, जब कि गांवों में 150 ग्राम देते हैं। जिस नई नीति की घोषणा के बारे में सुन रहा हूं, उसके आधार पर भी दी जाने वाली शक्कर की मात्रा पर्याप्त नहीं है, मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाया जाय। यदि आप उनकी मात्रा को बढ़ा देंगे तो इससे चीनी अधिक देना होगी और आपका कन्जम्पशन भी बढ़ेगा। इस तरह से जो खपत बढ़ेगी, उससे जो आपका सरप्लस स्टाक है, जिसके लिये आप कह रहे हैं कि उठ नहीं रहा है, इन्टरनेशनल मार्केट में भी चीनी का दाम कम है––आप अधिकतर स्टाक देश के अन्दर खपा सकेंगे। आज हमारे देश में 38–39 लाख टन की खपत है, जबकि हमारा उत्पादन ज्यादा है, लेकिन इस तरह से देश की खपत को बढ़ाया जा सकता है और देश के किसानों को, गरीब आदमियों को शक्कर सस्ते दामों पर मुहैया कर सकते हैं। यदि लेवी को 5 प्रतिशत ही बढ़ा दिया जाय, तो हमारे गांवों को सस्ते दामो पर और आसानी से शक्कर मिल सकेगी।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपकी एक निश्चित नीति होनी चाहिए। आज हम देखते हैं––कभी गुड़ के दाम गिर रहे हैं, गुड़ वाले परेशान हैं, उनका गुड़ बिक नहीं रहा है। दूसरी तरफ़ खाण्डसारी वाले परेशान हैं और कभी मिल वाले चिल्लाते हैं। यह सब इस लिये है कि आपकी कोई निश्चित नीति नहीं है। आप की एक निश्चित शुगर-पालिसी होनी चाहिए जिसमें किसानों का शोषण न हो, उनको भी संरक्षण

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

मिले, मिल-वालों को भी संरक्षण मिले, खाण्डसारी वालों को भी संरक्षण मिले। आज खांडसारी वालों को संरक्षण की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान शुगर-केन-एक्ट की तरफ़ भी खींचना चाहता हूं। काफ़ी पुराना एक्ट है। सन् 1934 का है। इसमें काफी संशोधन होने चाहिये या नये सिरे से इसे तैयार किया जाना चाहिये। आप ने इसमें प्रावधान किया हुआ है कि कोई मिल-मालिक यदि पेमेन्ट नहीं करता है, तो उसको पीनलाइज़ किया जा सकता है, उसको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेन्टेशन कैसे होता है? उस रकम को रेवेन्यू-रिकवरी के तौर पर वसूल किया जायगा, कमिश्नर या कलैक्टर सर्टिफिकेट ईशू करेगा, उसके बाद दावा होगा--इसमें कहा गया है—

"Whoever in any controlled area purchases any sugar cane intended for use in a factory at a price less than the minimum price fixed thereof by notification under sub-section (2) of Section 3 or in contravention of any prohibition made under sub-section (3) of section 3 shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees."

इसके बारे में जो प्रक्रिया है, वह दोषपूर्ण है, कभी भी किसी को सजा नहीं होती है, करोड़ों रुपया आज भी उनकी तरफ़ बकाया है। आप इस कानून को इस प्रकार से संशोधित कीजिये जिससे यह प्रभावी हो सके, उसको दण्डित किया जा सके, और किसान का बकाया वसूल हो ताकि उसका संकट दूर हो सके।

इसमें ज़ोन बनाने के बारे में बताया गया है--मेरा निवेदन है कि ज़ोन वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। जिस समय शुगर-फ़ैक्ट्रीज़ बन रही थीं उस समय उनके लिये संरक्षित एरिया की बात सोची गई थी ताकि उनकी फैक्ट्री में उगने वाला गन्ना उनको निश्चित रूप से प्राप्त हो सके और वे गन्ना-उत्पादकों के साथ अनुबन्ध करके उसको प्राप्त कर सकें। लेकिन आज तो गन्ने का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है। उन फैक्ट्री वालों ने रिसर्च के नाम से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है, केन-डेवलपमेन्ट के नाम पर इकट्ठा किया है, लेकिन किसी प्रकार का भी विकास वहां नहीं किया है। अपनी फैक्ट्री के आस-पास का एरिया वैसे ही अविकसित रखा जिसकी वजह से किसान रक्षित क्षेत्र के नाम पर दूसरी फैक्ट्रीज़ को गन्ना नहीं दे सकता। स्वयं गन्ना नहीं पेर सकता और खांडसारी नहीं बना सकता और अपना गन्ना उसी को देने के लिये बाध्य होता है जिसके साथ अनुबंध होता है और यदि मिल मालिक गन्ना नहीं लेता है तो उसको अपनी खड़ी फसल जलानी होती है, या जानवरों को खिलानी होती है। और अगर क्लेम लेने जाता है तो उसकी इतनी लम्बी प्रक्रिया है कि वह पैसा मिल मालिक से नहीं ले पाता है। इसलिये इस ऐक्ट के अन्दर इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है जिससे किसान के हितों की रक्षा हो सके। जो ज़ोन सिस्टम बना हुआ है उस पर आपको विचार करना चाहिए। आप कहेंगे कि इस बारे में हमने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है। लेकिन राज्य सरकारें केन्द्र की तरफ़ देखती है और कहती हैं कि चीनी उद्योग के मामले में जो केन्द्रीय सरकार नीति निर्धारित करती है हम उस पर चलेंगे, अपनी तरफ से इसके अन्दर दखल नहीं देंगे। तो केन्द्रीय सरकार को आगे आ कर के राज्यों को एक निश्चित दिशा देनी चाहिए। किसानों को उनके भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

चूंकि मामला गन्ने के मूल्य को ले कर के है, तो गन्ने के मूल्य के साथ-साथ गन्ने की रिसर्च के बारे में, गन्ना उत्पादकों के

हितों के संरक्षण के बारे में, उन्हें पैसा समय पर मिले, यह सब पहलू एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिये गन्ने का मूल्य ऐसा निश्चित करना चाहिये जिससे किसानों को नुकसान न हो। मांग है कि 22, 24 रु० प्रति क्विंटल गन्ने का दाम होना चाहिये। मध्य प्रदेश में कम से कम मूल्य 20 रु० क्विंटल की मांग की गई है। और आम तौर पर यह धारणा बनती जा रही है कि कम से कम गन्ना उत्पादकों को 15, 16 रु० से 20 रु० प्रति क्विंटल गन्ने का दाम मिलना चाहिए। यह कभी न समझियेगा कि गन्ने के इतने दाम होने से चीनी मिल मालिक सफ़र करेंगे। वह सफ़र नहीं करेंगे। थोड़ी ऐक्साइज़ डयूटी में रिलीफ़ दे सकते है, लेकिन 15 रु० 20 रु० के मध्य गन्ने का दाम देकर आप गन्ना उत्पादकों का सरक्षण कर सकते हैं। जो कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन चीनी मिल मालिक बढ़ा कर बता देते हैं उसको आप चैक करें तो बहुत सारे घोटाले दूर हो सकते हैं. उनका लाभांश घटा सकते है और जो आप 215 रु० लेवी का मूल्य देते हो उसी में किसान को 20 रु० प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य दे सकते हैं। यह मैं आपके साथ बैठ कर वर्क आउट करके बता सकता हूं।

मैं आशा करता हूं कि किसानों के अन्दर जो व्याप्त असंतोष है उसको आप दूर करेंगे और एक निश्चित चीनी नीति निर्धारित करेंगे जिससे किसानों के साथ हमारे उपभोक्ताओं का असंतोष दूर हो और किसानों को अपने गन्ने का उचित मूल्य मिल सके। उन्हें समय पर मूल्य मिले। उनकी बकाया राशि उन्हें प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी उन पर गंभीरता से विचार करें ताकि एक ज्वलंत समस्या का जिससे करोड़ों किसान संबंधित हैं योग्य हल निकल सके और वे संतुष्ट हों।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, my hon. friend. Dr. Laxminarayan Pandeya has raised a very important discussion.

Sugarcane growers, especially farmers from the southern States have been urging for a remunerative price. Remunerative price is fixed by the millowners. Whether this price is remunerative or not is another matter. There is confrontation between the farmers and the millowners. You have these mill-owners, mill proprietors, the khandsari people. These are the classes who are exploiting the farmers.

The other day I made a mention that all types of taxes have been levied on the farmers. Even the necessary inputs like insecticides and pesticides and fertilizers are not being made available to the farmers; and even if they are available, they are available only at exorbitant rates. The farmers do not get all the inputs. Besides, they are not getting the return. That is the cry of the sugarcane growers, specially, small growers, registered growers. I want to highlight one aspect of the matter.

Shri Morarka is a proprietor of one sugar mill in Hospet and, in the Tungabhadra Canal area, he is terrorising the farmers and dictating terms by quoting Rs. 113 per ton of sugarcane. As a result thousands of acres of sugarcane are dying up. The State Government cannot fix up a price for the sugarcane. The Central Government alone should come to the rescue of the farmers.

There is no uniformity of price structure for the sugarcane growers. They cry in wilderness. The attitude of the present Government is also known. They are following the *laisez faire* policy. Ultimately, the sugarcane growers have to shift their profession. That is the situation that is prevailing, specially, in the Canal area—Tungabhadra canal area. Of course some projects are coming up there. The farmers are crying that these khandsari millowners are exploiting the farmers at a particular time

[Shri K. LAKKAPPA]

in the harvesting season. They are terrorising them—the small cultivators of sugarcane. They cannot even sell out their sugarcane. The price offered to them is not at all remunerative. Farmers are losing every day. Therefore, this is the forum and so, if you are really for farmers, you will give us an assurance here that throughout the country, the farmers will be paid a remunerative price for the sugarcane. They should not yield to the pressures of the millowners or proprietors or khandsari owners. There are several types of them who are operating. Something was said about the recovery per centage in Maharashtra State. This is the lowest. You should examine all these things. You must fix up a certain remunerative price at least for the sugarcane. And you take the parliament into confidence while doing that. In any case, we want to know whether you would give an assurance today that you are going to protect the farmers from this kind of exploitation and fix up a remunerative price for the sugarcanes produced by the farmers. I want a categorical reply from him. I also want to assurance on the floor of this House as this will satisfy the people, the poor farmers. I think you visited my State recently, specially my district. This is a backward district. Even the small cane growers have to lift water from a hundred feet depth of a pond. The water and electricity rate is too high which ruin the farmers. The present Government should therefore do something in the matter. I hope that at least you would give us the assurance to please the farmers. I want a categorical answer.

I hope the Hon. Minister will give an assurance on that so that the farmers may feel satisfied that they will be rescued from the exploitation of these people. At least you should announced certain *ad hoc* remunerative price for the farmers.

सभापति महोदय : श्री सुभाष आहूजा ।

श्री उग्रसेन : (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह 10 करोड़ किसानों और करोड़ों उपभोक्ताओं से संबंधित प्रश्न है। गन्ने का दाम और चीनी की नीति' इस पर यह आधे घंटे की चर्चा तो है ही, मेरा निवेदन है कि इस पर आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये। आप तो यह समय बढ़ा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

MR. CHAIRMAN: No, no. This is an half-an-hour discussion. Therefore, discussion will have to be completed. I would not like to create a wrong precedent.

श्री सुभाष आहूजा (बेतूल) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक तरफ़ तो सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने की बात कहती है, और दूसरी तरफ वह किसानों के लिए गन्ने का भाव—जिस गन्ने से शक्कर पैदा होती है—ऐसा निश्चित कर रही है, जिससे तीन गुना अधिक कीमत पर आज बाज़ार में लकड़ी मिलती है, जिससे ज्यादा कीमत पर घास और दूसरी चीजें मिलती हैं। तो फिर गन्ने का भाव इतना कम क्यों निश्चित किया जाता है ?

ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि सरकार ने गुड़ का निर्यात बन्द करने का निर्णय ले लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह निर्णय हमारे किसानों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इससे किसानों में गहरे असंतोष की भावना पैदा होगी। यदि सरकार ने गुड़ का निर्यात बन्द कर दिया, तो उससे गुड़ के भाव और कम होंगे। सरकार ने गन्ने का भाव साढ़े आठ रुपये तय किया है। यदि गुड़ का निर्यात भी बन्द कर दिया गया, तो गुड़ का भाव भी कम हो जायेगा।

जब एक किसान बाज़ार में किसी सरकार से ऋण लेता है, तो उसे कम से कम

20, 25 या इससे भी अधिक ब्याज देना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मिल-मालिकों पर किसानों का जो पैसा बकाया है, क्या सरकार उस का ब्याज भी किसानों को दिलवायेगी। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उन्हें ब्याज दिलवाने का प्रयास करे।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी सरकार ने मिलों में बनने वाली चीनी की एक्साइज़ ड्यूटी को कम किया है। इस सम्बध में सरकार से हमारे दो अपेक्षायें थीं। एक अपेक्षा तो यह थी कि किसानों को गन्ने का उचित दाम मिलेगा। चीनी की एक्साइज़ ड्यूटी को कम करने के पीछे राशनेल यह था कि चीनी की कास्ट प्राइस बहुत ज्यादा है। मंत्री महोदय स्वयं किसान है। मै उनसे यह जानना चाहता हूं कि गन्ने की कास्ट प्राइस क्या है। माननीय सदस्य, डा० पांडेय, ने ठीक कहा है कि गन्ने का भाव 20 रुपये होना चाहिए। मैं 20 रुपये की मांग तो नहीं करता हूं, लेकिन मंत्री महोदय इतना तो कर सकते हैं कि पंजाब में गन्ने का जो दाम किसानों को मिलता है—15 रुपये, वह सारे हिन्दुस्तान के किसानों को दिलवायें। आखिर गन्ना पैदा करने वाले किसानों ने क्या गुनाह किया है? मैं मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक यह रीजनेबल बात निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी की एक्साइज़ ड्यूटी को माफ़ करने के बाद सरकार आसानी से गन्ने की कीमत 15 रुपये दिला सकती है।

यदि गुड़ का एक्सपोर्ट बन्द हो गया,—मैं सख़्त बात कहने का आदी नहीं हूं, लेकिन जब फ़ीलिंग्ज़ स्ट्रांग होती हैं, तो सख़्त बात कहनी पड़ती है,—तो यह बड़ा भारी किसान-द्रोही और किसान-विरोधी कदम होगा। यह निश्चित रूप से गन्ने की कीमत को गराने का प्रयास होगा।

जब सरकार चीनी मिल-मालिकों को सबसिडाइज़ कर सकती है, उन्हें एक्साइज़ ड्यूटी की छूट दे सकती है, तो वह गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में किसान को भी सबसिडाइज़ करने का प्रयास क्यों नहीं कर सकती है? उसने क्या गुनाह किया है? अब तक किसान ऐसा अभागा रहा है कि उसकी कोई लाबी नहीं रही है और इसलिए वह अपनी किसी बात के लिए दबाव नहीं डाल सका है। मै कोई डर या धमकी की बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सरकारी दल के सदस्य हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब किसान के बेटे अधिक तादाद में इस सदन में आ गये हैं। वे आवाज़ उठा कर पूरी कोशिश करेंगे कि गुड़ का एक्सपोर्ट को जारी रखा जाये और गन्ने का दाम बढ़ाया जाये।

सरकार के पास कोई तर्क होगा, जिसके आधार पर उसने चीनी मिलों को एक्साइज़ ड्यूटी क सम्बन्ध में छूट दी, जिसके बारे में हिसाब लगाया जाता है कि वह 80 करोड़ या 85 करोड़ रुपये है। हम ढंढोरा पीटते रहे हैं कि हम स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ के समर्थक हैं। आज खंडसारी उद्योग मर रहा है। उससे केवल 16 करोड़ रुपये भी एक्साइज़ ड्यूटी प्राप्त होती है, मगर सरकार ने उसको माफ़ नहीं किया है। इतना ही नहीं, जिस अनुपात से उसने चीनी की एक्साइज़ ड्यूटी पर छूट दी है, उसने खंडसारी पर उतनी छूट भी नहीं दी है।

सरकार को ये काम करने चाहिए: उसे शीघ्र गन्ने का दाम 15 रुपये घोषित करना चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि गुड़ के निर्यात पर रोक नहीं लगेगी। अगर वह गन्ने का उचित दाम दिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो वह गुड़ के निर्यात पर रोक लगा कर गन्ने के दाम गिराने का प्रयास क्यों कर रही है? यदि कनज्यूनर को कोई कठिनाई है, तो जिस तरह सरकार ने चीनी

[श्री गौरी शंकर राय]

को सबसिडाइज़ किया है, उसी तरह वह इसे भी सबसिडाइज़ करे। लेकिन किसान की मेहनत और जान को कीमत पर यह काम क्यों किया जा रहा है? मैं नमतापूर्वक, लेकिन मज़बूती के साथ, कहना चाहता हूं कि गुड़ के एक्सपोर्ट को बन्द करने से किसानों का बहुत बड़ा नुक्सान होगा।

इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि चीनी मिलों को शकर पर तो एक्साइज़ ड्यूटी कम हो जाये, और खडसारी पर न हो। यह छोटा उद्योग मर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में शायद ज्यादा गन्ना होता है। वहां पर खांडसारी और चीनी मिल मालिकों में जब गन्ने की प्रतियोगिता होती है तभी किसान को ठीक दाम मिलता है। बहुत दिनों से चीनी मिल मालिक यह प्रयास करते रहे हैं कि खांडसारी का गला दबा दो क्योंकि उसका गला दबा देने के बाद किसान मजबूरी का विक्रेता होगा और मिल मालिक मोनोपली खरीदार होगा। किसान को मजबूरी में मिल मालिक के चरणों में जाना होगा। मिल मालिक की मोनोपली को ढीला करने की उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, आन्ध्र में और महाराष्ट्र में थोड़ी शक्ति थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खांडसारी पर जो एक्साइज़ ड्यूटी है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाय। अगर उसको पूरी तरह से समाप्त करने में पैसे की कठिनाई है तो जैसे 85 करोड़ आप ने उधर दिया है इधर सोलह करोड़ देने में क्या कठिनाई है? अगर आप सोलह करोड़ भी नहीं देना चाहते तो जिस प्रोपोर्शन में आप ने चीनी को छूट दी है उसी प्रोपोर्शन में खांडसारी को छूट देने की घोषणा करें, अन्यथा गन्ने की खेती तबाह हो जायगी। यदि समय होता तो मैं हिसाब बताता कि उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं वह ऐसा बदकिस्मत हिस्सा है जहां पर सारे देश में सब से ज्यादा गन्ने के नीचे जमीन है लेकिन पैदावार बहुत कम है क्योंकि कुछ कारणों से पिछले तीस साल की सरकारें शुगर मिल मालिकों के इशारे पर चलने वाली थीं और उनकी गुलाम रही हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस गुलामी से इस सरकार को मुक्त करायें और किसान को राहत दें।

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) : मान्यवर, सारे देश में 253 चीनी मिलें है और 7 हजार खांडसारी यूनिटें है। कुल मिला कर 15 लाख लोग खांडसारी में है। श्रमिक और गाड़ी वाले और करीब ढाई लाख लोग चीनी मिलों में लगे हुए है। करीब दस बारह करोड़ किसान सारे देश में गन्ने की खेती पर आधारित है। लेकिन सरकार मिल मालिकों के हितों की रक्षा के लिए गन्ने का दाम बढ़ने नहीं दे रही है। गन्ने का दाम बढ़ाने के लिए गुड़ का एक्सपोर्ट हो सकता था। हम ने सुना भी कि सरकार गुड़ एक्सपोर्ट करने जा रही है। जैसे ही यह खबर फैली मुज़फ्फरनगर की मंडी में वहां की खांडसारी यूनिटों ने गन्ना साढ़े आठ रुपये क्विंटल से बढ़ाकर साढ़े दस रुपये क्विंटल पर खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मिल मालिकों ने प्रेशर डाला और इस सरकार ने एक शर्मनाक फैसला किया। मैं समझता हूं अगर यह फैसला किया गया है तो बड़ा शर्मनाक फैसला होगा कि गुड़ का एक्सपोर्ट रोक दिया जाय क्योंकि इस से किसानों के गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा।

दूसरा सवाल यह है जैसा मंत्री जी स्वीकार करते है कि चीनी जरूरत से ज्यादा है तो फिर चीनी पर कंट्रोल की क्या जरूरत है? केवल 15–20 प्रतिशत लोग जो शहरों में रहते हैं वे राशन कार्ड के द्वारा दो रुपये पन्द्रह पैसे किलो चीनी पाते है। लेकिन बाकी 80 प्रतिशत लोगों को साढ़े चार और पांच रुपये किलो चीनी खरीदने पर मजबूर किया जाता है। यह बड़े शर्म की बात है कि केवल 20 प्रतिशत लोगों के लिए सारे देश को तबाह किया जाय

और एक आर्टिफिशियल चीनी की नीति बनाई जाय । यह बिलकुल आर्टिफिशियल है और इसका कोई भी औचित्य नहीं है । मैं समझता हूं रिलीज के माध्यम से सरकार कंट्रोल कर सकती है । एक्साइज ड्यूटी में जितनी छूट दी है उस को ध्यान में रखते हुए यदि आप चीनी को मुक्त कर दें, उस पर से नियंत्रण हटा दें तो बाजार में चीनी 3 रुपये किलो में बिकेगी । तब आप का रोना यह है कि सरकार के पास जो चीनी है उस की देश में खपत नहीं है लेकिन देश में खपत कैसे होगी जब 80 प्रतिशत लोग पांच रुपये किलो पर खरीदने के लिए मजबूर किए जाते हैं ? आप नियंत्रण हटा दीजिए तो चीनी की खपत देश में दुगुनी हो जायगी और आप के सामने जो रोना है वह भी नहीं रहेगा । किसानों को गन्ने का दाम 20 रुपये क्विंटल जैसा कि पांडेय जी ने कहा मिलना चाहिए । गन्ने की सब से कम रिकवरी 9 प्रतिशत पंजाब में है लेकिन वहां पर सरकार पन्द्रह रुपये क्विंटल का दाम दे रही है । यह बड़े शर्म की बात है अपने को किसानों का हितचिंतक कहने वाली सरकार के लिए कि सब से कम रिकवरी पर पंजाब के किसानों को पन्द्रह रुपये क्विंटल का दाम दिया जा रहा है । वह भी दाम दूसरी जगहों के गन्ना किसानों को न दिलवा सके और किसानों को लुटने के लिए मजबूर करे । आप के माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार और गन्ना मंत्री से कि उन्हें अपनी गन्ना नीति स्पष्ट करनी चाहिए । 15 रुपये से कम गन्ने का दाम किसानों को देना अनुचित है ।

खांडसारी का किस्सा यह है कि 1974–75 में खांडसारी पर 880 रुपया एक्साइज ड्यूटी थी लेकिन इस एमर्जेंसी में उस को पांच गुना बढ़ा कर 4400 रुपया कर दिया गया । आप ने जो सत्रह परसंट की छूट दी है उसी हिसाब से खांडसारी को भी छूट दीजिए नहीं तो आप की यह किसान-विरोधी नीति होगी । इस से छोटे छोटे उद्योग टूटेंगे और बड़े-बड़े मिल मालिक पनपेंगे जिस से जनता पार्टी की नीतियों का विरोध होगा ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दस बारह करोड़ किसानों के प्रतिनिधि यहां पर हैं । हमारी मांग है कि इस पर फुल फ्लेज्ड डिस्कशन की इजाजत दें, हम ने उस की मांग की है, तभी यह मामला हल होगा । उस के बगैर काम नहीं चलेगा ।

इन शब्दों के साथ में यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार समय रहते चेते । गन्ना किसानों को तबाह कर के, थोड़े से मिल-मालिकों को राहत देकर कोई सरकार ज़िन्दा नहीं रह सकती है और न किसान ज़िन्दा रहने देगा । चीनी पर से कन्ट्रोल हटा दीजिये, अपने आप सारी समस्या का समाधान हो जायगा । खाण्डसारी पर से उसी अनुपात से ड्यूटी कम कर दीजिये, ताकि वह गन्ने को खरीद सके और दोनों का मुकाबला हो । 1967 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम था—12.73 रुपये क्विंटल और पश्चिम में 13.73 रुपये क्विंटल था, मगर खाण्डसारी वालों ने उस समय साढ़े सतरह रुपये क्विंटल के दाम दिये । इस लिये गुड़ का निर्यात करें —तब जा कर मुकाबला हो जायगा और मुझे विश्वास है कि तब खाण्डसारी वाले मिलवालों को मजबूर करेंगे कि वे गन्ने का उचित मूल्य दें ।

श्री उग्र सेन : सभापति महोदय, मैं सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहता हूं—भाषण नहीं देना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सिर्फ तीन बातों का ऐलान कर दें कि गन्ने का मूल्य 15 रूपये क्विंटल होगा, गुड़ का निर्यात खोल दिया जायगा और खाण्डसारी पर से एक्साइज ड्यूटी की माफ़ी कर दी जायगी ।

श्री हिरंजी प्रसाद (बांसगांव) : मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस

[श्री फिरंगी प्रशाद]

विषय पर सदन में पूरी बहस हो जाय, जिस में सब का सन्तोष हो जाय ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से अपने माननीय सदस्यों से, जो प्राय: सभी मेरे पुराने साथी और मित्र हैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से शान्तिपूर्वक मैंने उन की सभी बातों को सुना है, उसी प्रकार से कृपा कर थोड़ी देर मेरी बात भी सुन लें । मेरी जो भावनायें हैं, वे वास्तव में उन के साथ हैं, लेकिन जो कठिनाइयां है, उन को भी मैं आप के सामने रख देता हूं ।

मूल्य के विषय में जो आज की स्थिति है, उस को ध्यान में रखना पड़ेगा । स्थिति यह है कि जितनी शुगर की जरूरत है, उससे ज्यादा पैदावार है । जितने गुड़ की जरूरत है उससे ज्यादा पैदा हो रहा है । विदेशों में बिक नहीं सकता है । मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं हमारी चाहे जितनी भी सहानुभूति किसानों के साथ क्यों न हो, परन्तु हम ऐसे समय में जब कि उन के माल की खपत की सम्भावना कम दखाई देती है, उन के माल का मूल्य बढ़ा देंगे तो उस का परिणाम केवल यही होगा कि अगले वर्ष और ज्यादा गन्ना पैदा होगा, ज्यादा रकबे में बोया जायगा । उन का हितेषी होने का दावा मैं भी करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नीती लम्बे अर्से के लिये उन के हित में होगी ? आज हम 15 रुपये क्विंटल कीमत कर दें, अगले साल स्वाभाविक है कि सवाया गन्ना पैदा हो जायगा, जब कि चीनी कारखानों में 25 लाख टन चीनी पहले ही पड़ी हुई है और पिछले साल का बना हुआ गुड़ भी पड़ा हुआ है--इस का क्या परिणाम निकलेगा आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं । इस लिये इन सारी बातों को देखकर ही कोई निर्णय होता है । आज किसानों का हित इस में है कि उनको मशविरा दिया जाय कि गन्ने की खेती कम कर के, दूसरी चीजों की खेती, जो कि उतनी ही लाभप्रद हो सकती हैं, उनको सिखाई जाय, ताकि वे उसको करना शरू करें । आज जिस चीज की मांग न देश में है और न विदेशो में है, उसका मूल्य बढ़ा कर उनको प्रोत्साहित करना कि वे ज्यादा रकबे में खेती करें, वास्तव में उन्हें धोखा देना होगा, यह उनके हित के विरुद्ध होगा ।

श्री उग्रसेन : हम इन्टेन्सिव खेती की बात करते हैं, रकबा बढ़ाने की बात नहीं करते हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप थोड़ा शान्ति रखिये, मेरी बात सुन लीजिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रा-मैटीरियल की कीमत और अन्तिम प्राडक्ट की कीमत में सम्बन्ध होना चाहिये । आज आप लोग बार बार कहते हैं कि उद्योगपति के बीच और किसान के बीच कनफ्रन्टेशन है । यह सर्वथा निराधार है । आज अगर कनफ्रन्टेशन है तो गन्ना उत्पादक और उन लोगों के बीच में है जो सस्ती चीनी खाने के आदि हो चुके हैं ।

श्री उग्रसेन : यह कंडीशन आप पैदा कर रहे हैं । ऐसा हिन्दुस्तान में नहीं है । हमने सारी रिपोर्ट पढ़ी है । इस पर विवाद हो जाय । गलत बात आप कह रहे हैं ।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): The hon. Minister has said that there is no confrontation between the mill-owners and the cane-growers.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: There is confrontation between the consumer and the grower.

अगर 2 रुपये 15 पैसे पर 65 परसेंट शूगर उनसे ले ली जायेगी और 3 रुपये 90 पैसे पर बाकी 35 परसेंट चीनी बिकने की व्यवस्था की जायेगी तो गन्ने की कीमत नहीं बढ़ सकती है ।

श्री उग्रसेन : ऐसा हुआ क्यों ?

SHRI K. LAKKAPPA: Did you modernise the sugar mills in UP or MP? Then, how can the production increase. You say there is confrontation between the mill-owners and the consumers. It is all wrong.

SHRI RAM DHARI SHASTRI: You make the price of sugar Rs. 3. People will like it.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is a question of judgment.

जजमेंट यह है । लेकिन 2 रु० 15 पैसे पर जाने के जो आदी हैं उनको उतने में मिलनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : केवल 15 परसेंट लोग पाते हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं कह रहा था आपकी बात सही है अगर 3 रु० पर चीनी बिकेगी तो गन्ने की कीमत बढ़ाई जा सकती है । लेकिन 2 रुपये 15 पैसे पर अगर 65 प्रतिशत बिकती है तो गन्ने की कीमत नहीं बढ़ायी जा सकती है .... (**व्यवधान**)

SHRI K. LAKKAPPA: The exploiting sections are the sugar mill owners, and they have confrontation with the sugarcane growers, not the consumers. That point he has not answered.

MR. CHAIRMAN: You should listen to the Minister and then, if necessary, ask for another discussion.

श्री महीलाल : गन्ने की उत्पादन लागत क्या आती है जरा बता दें ?

श्री उग्रसेन : माननीय सभापति जी, खत्म कीजिये हम लोग चलें । आधा घंटे की चर्चा थी खत्म हो गई चलिये घर ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, अगर नहीं सुनना चाहते तो मुझे सुनाने का शौक नहीं है ।

अब खांडसारी की और बड़ी मिलों की चीनी की तुलना की गई । श्रीमन्, मैं पहले कह चुका हूं कि पिछले वर्ष चीनी मिलों की कास्ट आफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई । जो आशा थी कि फ्री शूगर से रियलाइजेशन होगा उनको वह नहीं हुआ । उस घाटे को पूरा करने के लिये, वह घाटा चलता न रहे, पिछला जो घाटा हुआ उसको छोड़िये । इसी सदन में एक प्रश्न आने वाला है आपको उत्तर मिलेगा । वह घाटा अगले वर्ष भी न चलता रहे इसके लिये एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दिया गया । कोई उन को एक तोहफे के रूप में नहीं दिया गया है । अगर फैक्टरी चलनी है तो कम-से-कम उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन मिलनी ही चाहिये । बी०आई० सी०पी० के अनुसार कास्ट आफ प्रोडक्शन जो 1976–77 में है, पूरे देश की ओवरआल पिक्चर देखते हुए उनको प्राप्त नहीं हुई है । उस कमी को पूरा करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई है । (**व्यवधान**)

SHRI K. LAKKAPPA: Mr. Chairman, please guide the deliberations. The subject matter is sugarcane price, but he is explaining the millowners' difficulties. Let him explain how he is going to remove the difficulties of the farmers and give them a remunerative price.

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उद्योग को उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगी तो किसान का हित बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता । किसान को कम-से-कम

[श्री भानु प्रताप सिंह]

पिछले वर्ष का मूल्य मिलता रहे. इसके लिये एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दी गई है। (व्यवधान)

अब यह कहा जाता है कि चूंकि बड़ी मिलों को चीनी पर रिलीफ दी गई, इसलिये खंडसारी पर भी दी जाये। मेरा यह कहना है कि खण्डसारी की कास्ट आफ प्रोडक्शन से आज भी खुले बाजार में खण्डसारी की कीमत ज्यादा है। मैं बारम्बार आश्वासन भी दे चुका हूं कि जिस दिन भी उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन से खुले बाजार का भाव कम हो जायेगा, उसी दिन उनको संरक्षण देने की बात सोची जायेगी। (व्यवधान)

श्री चन्दन सिंह (कैराना) : मार्केट में कम्पीटीशन हो जाये शुगर फैक्टरी और खंडसारी का तो गन्ने का भाव बढ़ जायेगा। हमारे मुजफ्फरनगर में सलफर की 150 और नान-सल्फर क्शर 300 और 6000 गुड़ कोल्हू बिजली के हैं। तीन दिन के इस आन्दोलन से 10 रुपये का भाव गन्ने का हो गया है (व्यवधान) गुड़ बाहर जाने से यह अपने आप मसला हल हो जायेगा।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): The subject is specific, namely remunerative price to the cane growers. He is bringing in other points.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It was mentioned by the hon. Member. That is why I am bringing it.

जहां तक गुड़ के एक्सपोर्ट का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। यह कामर्स मिनिस्ट्री का है। इसलिये मैं आपकी भावनाओं को समझ कर पुनः प्रयत्न करने का सोच रहा हूं।

श्री उग्रसेन : बिना एग्रीकल्चर मंत्री की सलाह के वह नहीं कर सकते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं सलाह दूंगा। (व्यवधान)

श्रीमन्, एरियर्स के बारे में कहा गया है, सो मैं पिछले 4 वर्षों में एरियर्स का परसैन्टेज पढ़ देता हूं।

एक माननीय सदस्य : किस चीज का ? (व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह : गन्ने का भाव बढ़ सकता है, यदि आप जनमत तैयार करें चीनी के ऊंचे मूल्य के लिये।

18.46 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday December 15, 1977/Agrahayana 24, 1899 (Saka)